दैनिक भास्कर

जोधपुर, शुक्रवार 11 सितंबर, 2015 16

सुमेर मंडी में निगम कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

नगर निगम से 14 तक जवाब तलब, अगली सुनवाई 16 को

लीगल रिपोर्टर | जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने गुरुवार को एक याचिका विचारार्थ स्वीकार कर नगर निगम द्वारा सुमेर धान मंडी में व्यापार करने वालों से दस्तावेज तलब करने और कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए निगम से 14 सितंबर तक जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की गई है।

खुदरा अनाज व्यापारी संघ व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता, अधिवक्ता रमित मेहता व विकास बालिया ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि नगर निगम आयुक्त ने गत 8 सितंबर को धान मंडी में अनाज का व्यवसाय कर रहे 150 दुकानदारों को नोटिस जारी किए। इसमें दुकानों के स्वामित्व के संबंध में मूल दस्तावेज मांगे गए हैं। मूल दस्तावेज पेश नहीं करने पर निर्मित क्षेत्र को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया था। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने धान मंडी में दुकानदारों की 70 वर्ष से किराएदारी है, याचिकाकर्ता लाइसेंसी नहीं हैं। किराएदारी को इस तरह निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिविल प्रक्रिया होती है। कोठार, चौकड़ी और टीन शेड तीनों का अलग-अलग किराया लिया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान 14 अक्टूबर 1976 को निगम की ओर से किराए के संबंध में जारी आदेश की प्रति भी पेश की, जिसमें कोटा, चौकड़ी व टीन शेड तीनों का अलग-अलग किराया अंकित किया गया है। उन्होंने बताया कि चौकड़ी और टीन शेड भी किराएदारी का ही भाग है, लेकिन निगम इन्हें अतिक्रमण मान कर तोड़ रहा है। अनाज बरसात के पानी से भीगे नहीं, इसलिए टीन शेड जरूरी है। निगम कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना ही कार्रवाई कर रहा है, दुकानदारों का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। इस पर जस्टिस लोहरा ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका की सुनवाई तक निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। एकलपीठ में इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

मार्केट में दोपहर तक हंगामा, अपराह्न बाद हाईकोर्ट से आई राहत

नगर निगम की टीम ने 90 फीसदी चौकड़ियों पर लगाया लाल निशान, घंटाघर के दोनों प्रमुख गेट पर लगाए बेरिकेड्स हटाते ही यातायात हुआ सुचारु

इन्फ्रा रिपोर्टर | जोधपुर

घंटाघर स्थित सुमेर मार्केट में नगर निगम की टीम को गुरुवार को दुकानदारों का विरोध झेलना पड़ गया। दोपहर तक दुकानदार निगम कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए हंगामा मचाते रहे, अपराह्न बाद दुकानदारों के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर आई तो उनके चेहरों पर खुशी झलक पड़ी। इसके पहले तक निगम की टीम सुमेर मार्केट में 90 फीसदी निर्माण पर लाल चौकड़ी का निशान लगा चुकी थी। अधिकांश चौकड़ियों पर लाल चौकड़ी का निशान लगने और यहां हुए निर्माण ध्वस्त होने के डर से दुकानदारों में खलबली मची रही। इधर, अपराह्न बाद ट्रैफिक पुलिस ने घंटाघर के दोनों मुख्य गेट पर 24 घंटे पहले लगाए बेरिकेड्स हटा दिए, जिससे घंटाघर के चारों तरफ का ट्रैफिक सुचारु हो गया। शाम को महापौर घनश्याम ओझा ने आयुक्त हरिसिंह राठौड़, एडीसीपी (ट्रैफिक) कैलाशदान जुगतावत व अन्य अफसरों के साथ घंटाघर का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत भी की। महापौर ने घंटाघर में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को भी देखा। इसके पहले पुलिस लाइन में दुकानदारों के साथ बैठक भी हुई।

सुमेर मार्केट स्थित धान मंडी में निगम की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया।

पुलिस चौकी के समीप से होकर मिश्रीलाल होटल की तरफ से बाहर निकलेंगे वाहन

ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। घंटाघर के चारों रास्तों पर नो व्हीकल जोन होगा। चार पहिया व तीन पहिया वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। सिर्फ दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग जोन बनाया जाएगा। सभी तरह के वाहन मिश्रीलाल होटल के समीप से होकर सुलभ कॉम्प्लेक्स होते हुए घंटाघर पुलिस चौकी के पास से बाहर निकलेंगे, लेकिन वापसी पन्ना निवास या माणक चौक की तरफ से ही कर सकेंगे। इसके लिए इस रास्ते पर अवरोधकों को हटा कर जल्दी डामर की सड़क बनाई जाएगी।

शत-प्रतिशत चौकड़ियां अतिक्रमण के रूप में चिह्नित

सुमेर मार्केट में कुल 61 चौकड़ियां और 79 कोठार हैं, कुछ के गोदाम भी हैं। मार्केट के बीचोबीच पुराना महल है जो पुरातत्व विभाग के अधीन है। घंटाघर की तरफ से जाने वाले रास्ते की ओर बने कोठार व चौकड़ियों के बीच 25-25 फीट का रास्ता है, जबकि माणक चौक की तरफ बने कोठार व चौकड़ियों के बीच 21 फीट का रास्ता था। इन रास्तों पर दुकानदारों ने चौकड़ियों व उसके आसपास पक्का निर्माण कर लिया, जबकि किराये पर देते समय इन चौकड़ियों को खुला रखने का प्रावधान रखा गया था, ताकि दुकानदार खुले में अपना अनाज बेच सकें और बारिश में भीगें भी नहीं।

हंगामा मचाया तो लगानी पड़ी चौकड़ी

आयुक्त हरिसिंह राठौड़ के निर्देश पर गठित टीम के सदस्य एक्सईएन राहुल गुप्ता, एटीपी गौतम माथुर, एईएन व अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी कमलेश व्यास के नेतृत्व वाली टीम ने सुमेर मार्केट में अतिक्रमण चिह्नित कर लाल चौकड़ी का निशान लगाने का काम शुरू किया तो दुकानदार व किरायेदार विरोध पर उतर आए। दुकानदारों के बुलावे पर शहर विधायक कैलाश भंसाली के भतीजे अतुल भंसाली व पार्षद जयप्रकाश राखेचा भी मौके पर पहुंचे। दुकानदार हंगामा मचाते रहे, लेकिन निगम टीम लाल चौकड़ी का निशान लगाती रही। हंगामा बढ़ा तो महल के चारों ओर की चौकड़ियों पर लाल चौकड़ी के निशान नहीं लगाए, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो टीम सदस्यों ने यहां भी निशान लगाए। इस पर दुकानदार शांत हुए।